क्रम-संख्या--280(क-2)

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू. पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4 खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 अक्तूबर, 1996

कार्तिक 6, 1918 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग

संख्या 1979/18-निर्यात-6(24)/87

लखनऊ, 28 अक्तूबर, 1996

अधिसूचना

प0 आ0-- 399

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् जिला भदोही में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की राजपुरा आवासीय योजना फेज-11 के अधीन आवासीय भवनों के निर्माण के लिये आवश्यता है ।

2—चूंकि राज्यपाल की राय है की उक्त अधिनियय की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की जिला भदोही में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की राजपुरा आवासीय योजना फेज-11 के अधीन आवसीय भवनों के निर्माण के लिए आत्याधिक आवश्यकता है और इस आत्याधिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है ।

अधिशासी अभियन्ता
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा, भदोही

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1979/XVIII-Niryat.6 (24)-87 dated 28 October, 1996 for general information :

No. 1979/XVIII--Niryat-6(21)/87
Dated Lucknow, 28, October 1996

Under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. 1 of 1894) the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose namely for the construction of residential buildings under Rajpura Avasiya Yojna, phase-II of Bhadohi Industrial Development Authority in Dissrict Bhadohi.

2. Being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said Land in as much as the said land is urgently required for the construction of residential building under Rajpura Avasiya Yojna, pharse-II of Bhadohi Industrial Development Authority in district Bhadohi and that in view of the pressing urgency it is, as well, necessary to eliminate the delay likely to be caused by an enquiry under section 5A of the said Act, the Governor is futher pleased to direct under sub-section (4) of Section 17 of the said Act that the provisions of Section 5A of the said Act shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	गाटा (प्लाट) संख्या Plot nos.	लगभग क्षेत्रफल Approx. Area		
1	2	3	4	5		
				बी० B.	बि० B.	धूर Dhoor
भदोही Bhadoi	भदोही Bhadoi	रजपुरा Rajpura	90एम	0	10	00
			90/4	0	10	00
			90/5	0	05	00
			91	1	14	00
			92	0	16	05
			93 एम	4	09	10
			93 एम	0	05	00
			93/1	2	04	03
			93एम	1	17	11
			93 एम	0	05	00
			93/3	1	18	00
			94	1	00	12
			95/1	1	07	10
			95 एम	1	07	10
			95/3	1	07	10
			97/1	0	08	10
			97 एम	0	08	10
			97/3	0	08	10
			98/1	0	18	10

अधिशासी अभियन्ता
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिक...
बीडा, भदोही

1	2	3	4	5		
भदोही (समाप्त) Bhadoi (Concld.)	भदोही (समाप्त) Bhadoi (Cobcld.)	रजपुरा Rajpura (Concld.)		बी० B.	बि० B.	धूर Dhoor
			98 एम	0	18	00
			98/3	0	18	01
			99	0	19	15
			100/4	0	03	09
			100 एम	0	03	09
			100 ख एम	0	01	00
			100 ख एम	0	01	00
			100/1	0	03	09
			101/3	0	02	00
			101 एम	0	02	00
			101/1	0	02	00
			102	0	01	10
			103	0	13	04
			योग Total	26	10	09

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--जिला भदोही में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की रजपुरा आवासीय योजना फेज-11 के अधीन आवासीय भवनों के निर्माण के लिए।

For what purpose required—For the construction of residential buildings under Ragpura Avasiya Yojna, Phase-II of Bhadohi Industrial Development Authority in district Bhadohi.

टिप्पणी--उक्त भूमि का स्थल नक्शा भदोही के कलक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE:—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Bhadohi.

आज्ञा से,
श्याम लाल केसरवानी,
विशेष सचिव।

By Order,
SHYAM LAL KESARWANI,
Vishesh Sachiv.

अधिशासी अभियन्ता
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा, भदोही

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 416 राजपत्र (हि०)--(1189)-1996-597+50+15+10 (मेक०)

क्रम-संख्या--373(ख)

रजि. नं. एल. डब्ल्यू./एन0 पी. 890
लाइसेंस नं० डब्लू० पी०--41
लाइसेंस टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

कार्यालय
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भदोही
पत्रांक संख्या 616
दिनांक 4-9-97

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 2 जुलाई, 1997

आषाढ़ 11, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्यात प्रोत्साहन विभाग

संख्या 1122/18-6-6 (24)/87

लखनऊ, 2 जुलाई, 1997

अधिसूचना

प0 आ0--244

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई और अन्तिम बार दिनांक 3 जनवरी, 1997 को स्थानीय क्षेत्र में तामील सरकारी अधिसूचना संख्या 1979/18-निर्यात 6 (24)-87 दिनांक 28 अक्तूबर, 1996 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भदोही के माध्यम से जिला भदोही में रजपुरा आवासीय योजना फेज-II के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भदोही के कलेक्टर को यह निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2--चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, भदोही के कलेक्टर, उक्त लोक प्रयोजन के लिये अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

टिप्पणी--अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा, भदोही

No. 1122/XVIII-6-6 (24)-87
Dated, Lucknow, July 2, 1997

In continuation of Government notification no. 1979/XVIII—Export-6 (24) 87, dated October 28, 1996 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) and lastly published by giving public notice on January 3, 1997 the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for the Rajpura Awasiya Yojana Phase—II in district Bhadohi through Bhadohi Industrial Development Authority, Bhadohi and under section 7 of the said Act to direct the Collector of Bhadohi to take order for the acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Bhadohi though no award under section 11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from the date of publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	गाटा (प्लाट संख्या) Plot no.	लगभग क्षेत्रफल Approximate Area		
1	2	3	4	5		
				बी० B.	बि० B.	धूर Dhoor
भदोही Bhadohi	भदोही Bhadohi	रजपुरा Rajpura	90 एम	0	10	00
			90/4	0	10	00
			90/5	0	05	00
			91	1	14	00
			92	0	16	06
			93 एम	4	09	10
			93 एम	0	05	00
			93/1	2	04	03
			93 एम	1	17	11
			93 एम	0	05	00
			93/3	1	18	00
			94	1	00	12
			95/1	1	07	10
			95 एम	1	07	10
			95/3	1	07	10
			97/1	0	08	10
			97 एम	0	08	10
			97/3	0	08	10
			98/1	0	18	10

अधिशासी अभियन्ता
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा, भदोही

1	2	3	4	5		
				बी0 B.	बि0 B.	धूर Dhoor
भदोही—(समाप्त) Bhadohi—(Concld.)	भदोही—(समाप्त) Bhadohi—(Concld.)	रजपुरा—(समाप्त) Rajpura—(Concld.)	98 एम	0	18	00
			98/3	0	18	01
			99	0	19	15
			100/4	0	03	09
			100 एम	0	03	09
			100 ख एम	0	01	00
			100 ख एम	0	01	00
			100/1	0	03	09
			101/3	0	02	00
			101 एम	0	02	00
			101/1	0	02	00
			102	0	01	10
			103	0	13	04
			योग Total	26	10	09

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—जिला भदोही में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की रजपुरा आवासीय योजना फेज-II के अधीन आवासीय भवनों के लिये।

For what purpose required :—For the construction of residential building under Rajpura Avasiya Yojna Phase-II of Bhadohi Industrial Development Authority in district Bhadohi.

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थल नक्शा भदोही के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Bhadohi.

आज्ञा से,
डी0 सी0 लाखा,
सचिव।

By order,
D. C. LAKHA,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 421 राजपत्र (हि0)—(898)-1997-597+50+15+10 (मेक0)।

अधिशासी अभियन्ता
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा, भदोही